अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

नौकरी छूटने पर 90 की बजाय 30 दिन में ले सकेंगे स्कीम का लाभ

सिटी रिपोर्टर | लुधियाना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समयावधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। वहीं, कोविड के दौरान 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक रोजगार गंवाने वालों के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ राहत की दर को औसत दैनिक मजदूरी के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। रोजगार छूटने के 30 दिनों बाद ही बीमित व्यक्ति इस का लाभ ले सकता है। पहले ये लाभ 90 दिनों बाद दिया जाता था। यह योजना मूल पात्रता शर्तों के साथ 31 दिसंबर के बाद 30 जून 2021 तक उपलब्ध रहेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम सब-रीजनल ऑफिस फोकल पॉइंट के डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज सुनील कुमार यादव ने बताया कि ये छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिन्होंने रोजगार छूटने से पहले कम से कम 2 साल की नौकरी की हो।

इन शर्तों का पालन जरूरी

बेरोजगारी से पहले 78 दिनों का योगदान दिया हो। बेरोजगार हुए बीमित व्यक्ति को अधिकतम 90 दिनों तक उसकी औसत दैनिक मजदूरी के 50% की दर से आर्थिक राहत दी जा रही है। बीमा का फायदा लेने वाले व्यक्ति को उस समय बेरोजगार होना चाहिए। बीमित व्यक्ति esic.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। एक शपथ-पत्र के साथ दावे की हार्डकॉपी, आधार की कॉपी और बैंक खाते की जानकारी संबंधित ब्रांच ऑफिस में जमा करानी होगी। धनराशि सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में 15 दिनों के दौरान भेजी जाएगी, लेकिन ये फायदा रिटायरमेंट या सजा के तौर पर नौकरी से निकाले जाने वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।